न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 49/2017 Gems No. 2017/00219
दायरा तिथि : 01.11.2017
आदेश तिथि : 9-5-2022

प्रार्थीगण :–
1. प्रभूलाल पुत्र भीखाजी जाति पालीवाल ब्राहमण
2. वागाराम पुत्र सोमाजी जाति कुम्हार
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. ईश्वरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुत
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. श्यामपुरी पुत्र किशोरपुरीजी जाति गोस्वामी
निवासी पादरला तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. अचलचन्द पुत्र फरसारामजी जाति जांगीड ब्राहमण
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री हिम्मत धनेरा — अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री दिनेश माथुर — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. — पेरोकार सरकार

दिनांक : 9-5-2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम सेवाडी के वर्तमान खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर रास्ते की भूमि होने से दुरस्ती के माध्यम से अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी से विलोपित करते हुये सडक/रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया कि अप्रार्थी ने दिनांक 18.05.1976 को पुर्व खातेदार से अप्रार्थी संख्या–01 ने पुराने खसरा नंबर 387 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा मेंसे 26 बीघा 04 बिस्वा तथा पुराने खसरा नंबर 386 रकबा 0.07 हैक्टर गै.मु. बेरा खरीद किया था, जिसका हैक्टर में रकबा 4.24 हैक्टर होता है। परन्तु वर्तमान अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थी संख्या–01 के नाम हाल खसरा नंबर 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1405 कुल खसरा–07 कुल रकबा 4.94 हैक्टर भूमि दर्ज है। जो भूमि भू0प्रबन्ध पुर्व खरीद शुदा भूमि 26 बीघा 11 बिस्वा अर्थात् 4.24 हैक्टर से (4.94–4.24)= 0.70 हैक्टर बेशी रकबा अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हुआ है। उक्त भूमि सडक का भाग होते हुये भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तौर से अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी है। उक्त भूमि में खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर की भूमि सडक के पूर्व दिशा की ओर है जबकि अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 सडक के पश्चित दिशा में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सेवाडी के हाल खसरा नंबर 1403, 1406 एवं अन्य भूमियो में आने–जाने के लिये वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर के अलावा कोई विकल्प नहीं है, प्रार्थीगण एवं अन्य सभी खातेदार अपनी खातेदारी भूमियो में उक्त खसरा नंबर 1405 मेंसे ही होकर आना जाना करते आ रहे है, परन्तु रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या–01 हमेशा दखलन्दाजी करता है। अतः दुरस्ती के माध्यम से ग्राम सेवाडी के हाल खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि को सडक/रास्ता दर्ज किये जाने की मांग की गई। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति, प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पेश किया उसकी फोटो कांपी, आदेशिका फोटो कांपी अचलचन्द बनाम सोमाराम अंतर्गत धारा 212 आर.टीएक्ट की फोटो कांपी, धारा 212 आ.टी.एक्ट का निर्णय की फोटो कांपी, बेचान रजिस्ट्री फोटो कांपी अचलचन्द के हक में की गई, नक्शा फोटो कांपी, जमाबंदी फोटो प्रति संवत 2072 से 2075 जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 की प्रति, कुटुम्बी समझौता/याददास्त फोटो कांपी, दावा की फोटो कांपी मय आदेशिका 183, 188 टिनेन्सी एक्ट.,खसरा मिलान फोटो कांपी, आदेश सूची फोटो कांपी वाद संख्या 23/06, वाद की प्रति 183, 188 टिनेन्सी एक्ट, जमाबंदी फोटो कांपी संवत् 2027 से 2030 की प्रति पेश किये गये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या–01 के द्वारा बिन्दुवार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेवाडी के हाल खसरा नंबर 1045 अप्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि न तो कभी रास्ता रहा है एवं न ही सडक की भूमि हैं। अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1405 में यदि सडक की भूमि होती तो पी.डब्लू.डी. विभाग के द्वारा इस हेतु कोई कार्यवाही की जाती, लेकिन पी.डब्लू.डी विभाग द्वारा कभी भी इस भूमि को गै.मु. सडक की भूमि नहीं बताया गया है। अप्रार्थी के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1405 के संदर्भ में प्रार्थीगण को धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत शुद्धिकरण के लिये हितबद्ध पक्षकार या राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान् अभिलेख में किसी गलती को पाया जाता है तो शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना की जा सकती हैं। प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं और राजस्व अधिकारी के द्वारा अभिलेख में कोई निरीक्षण के दौरान् अभिलेख में गलती होने का नोट अंकित नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं है।

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 49/2017 Gems No. 2017/00219
अनयान प्रभुलाल वगैरा बनाम अचलचन्द वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

अप्रार्थी संख्या–01 खसरा नंबर 1405 का खातेदार कृषक हैं और अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1405 में पत्थर गढी करने के लिए प्रार्थना पत्र वर्ष 2015 में पेश किया था, जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी के पत्र क्रमांक एफ 12(12) राज./2015/2229/ दिनांक 17.12.2015 को तहसीलदार, बाली को सर्वेदल गठित कर उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी के प्रस्ताव प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। जिस पर तहसीलदार, बाली ने नायब तहसीलदार बाली, आर.आई. सेवाडी, पटवारी हल्का सेवाडी को नियुक्त किया। जिसकी पालना में सर्वे दल द्वारा उक्त खसरा नंबर 1405 की पैमाईश, सीमांकन व पत्थरगढी के संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2016 को तैयार कर उपखण्ड अधिकारी बाली को जरिये तहसीलदार, बाली को प्रेषित की गई। जिस पर अप्रार्थी संख्या–01 को खसरा नंबर 1405 पर पत्थरगढी के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा मौके पर तारबन्दी की जाने लगी तब प्रार्थीगण के द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया। राजस्व अधिकरीयो के द्वारा खसरा नंबर 1405 को अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी भूमि होना बताया गया है। पटवारी हल्का सेवाडी के द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र में श्रीमान् के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति व जांच रिपोर्ट दिनांक 14/11/2017 को प्रस्तुत की गई हैं। अप्रार्थी संख्या–01 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 18/5/1976 को खसरा नंबर पुराने 386 व 387 की भूमि को खरीद किया था। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर पुराने खसरा नंबर 387 से बना है जिससे भी स्पष्ट हैं कि खसरा नंबर 1405 की भूमि अप्रार्थी संख्या–01 के खातदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि हैं। जिससे प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्य अंकित कर प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2017 की प्रति, नक्शा, आदेश उपखण्ड अधिकारी, बाली दिनांक 17.12.2015 की प्रति, पालना रिपोर्ट तहसीलदार, बाली दिनांक 14.01.2016, मौका रिपोर्ट सर्वे दल खसरा नंबर 1405 के सबंध में दिनांक 14.01.2016, जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खातेदार अचलचन्द, जमाबंदी संवत् 1998, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का सेवाडी दिनांक 14.11.2017, विक्रय विलेख अचलचन्द के पक्ष में दिनांक 18.5.1976 की प्रति, पासबुक, पर्चा भू0प्रबन्ध विभाग, पर्चा लगान द्वितीय भू.प्रन्ध विभाग, जमाबंदी संवत् 2025 से 2055, मिलान क्षैत्रफल की प्रतिया पेश की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष का जवाब प्रस्तुत होने पर दोनो पक्षो के वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री हिम्मतधनेरा ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि पुराने खसरा नंबर 414 रकबा सवा छः बीघा दो बिस्वा गै.मु. मार्ग से नयें खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर बना है। अप्रार्थी संख्या–01 ने पुराने खसरा नंबर 387 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा में भूमि खरीद की गई थी।गत् खसरा नंबर 387 मी. व 414 से नया खसरा नंबर 1405 बना है, जो गैर मुमकीन मार्ग है। पुराने खसरा नंबर 414 गैर मुमकीन मार्ग दर्ज है, जो सार्वजनिक मार्ग हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। तथा प्रार्थीगण के आने जाने का मात्र यही मार्ग हैं। प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है तथा प्रार्थना पत्र भी रास्ता दर्ज करने हेतु पेश किया गया है। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ता की भूमि को अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज किया है। जिससे रास्ते की भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी से हटाकर पुनः रास्ता दर्ज किया जाना न्यायसंगत हैं। अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा पुर्व में सोमाराम वगैरा के विरूद्व प्रस्तुत वाद दो बार खारिज हो चुके है। जिससे प्रार्थीगण की मांग अनुसार सेवाडी के हाल खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर को अप्रार्थी संख्या–01 की खातेदारी से विलोपित कर गै.मु. मार्ग/रास्ता दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील प्रार्थी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. RRT 2099-10(Supp) पेज 337
2. RRT 2012(1) पेज 666

वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये विद्वान् वकील अप्रार्थी संख्या–01 श्री दिनेश माथुर द्वारा बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि अप्रार्थी संख्या–01 ने गत् खसरा नंबर 387 व 386 में भूमि खरीद की थी, जो पुराने खसरा नंबर 387 व 386 कभी भी राजस्व अभिलेखो में गै.मु. मार्ग दर्ज नहीं रहा है। पुराने खसरा नंबर 414 गै.मु. मार्ग दर्ज था। गत् खसरा नंबर 387 से बने हाल खसरा नंबर 1405 भी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या–01 का वक्त खरीद से चला आ रहा है। प्रार्थीगण को धारा 136 के तहत उक्त दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कोई विधिक अधिकार नहीं है। गै.मु. रास्ता अथवा सडक के मालिक सक्षम अथोरिटी द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि भू0प्रबन्ध पुर्व के लेखो में अप्रार्थी संख्या–01 के खरिदशुदा खातेदारी की भूमि रही है तथा वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भी हाल खसरा नंबर 1405 रकबा 0939 हैक्टर अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज को सही माना जाता है, जब तक कि इसकी शुद्धता को गलत साबित नहीं कर दिया जाता। विद्वान् वकील अप्रार्थी ने बहस के अंत में दलील दी कि लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर लिपिकिय भूल को दोनो पक्षो के सहमत होने पर शुद्ध करने के आदेश दे सकता है। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की लिपिकीय भूल प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. RLW 2002(Raj) पेज 83 जिसके अनुसार– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956, धारा 136– धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियॉ– उपखण्ड अधिकारी राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय या अन्य त्रुटि को दुरस्त कर सकता है जिसके लिए पक्षकार सहमत हो–

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 49/2017 Gcms No. 2017/00219
अनवान प्रभुलाल वगैरा बनाम अचलचन्द वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

खातेदारी रद् करना और भूमि को गैर मुमकीन शमशान में इन्द्राज करना धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी की अधिकारिता में नहीं हैं। (पद संख्या 9) जहां तक इस बात का प्रश्न हैं कि क्या वर्तमान मामले में उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त था या नहीं, इस मामले में धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम, 1956 के वर्तमान प्रावधान का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता हैं कि धारा 136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को लिपिकीय त्रुटि या ऐसी त्रुटि को राजस्व रिकार्ड में दुरस्त करने का अधिकार हैं जहां पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करते हो। वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के द्वारा जो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है उसके द्वारा यह दुरस्ती चाहीं गई हैं कि खसरा नंबर 2075 जो छीत खं की खातेदारी में दर्ज है, एवं जिसकी किस्म गैर मुमकिन शमशान है, को उसकी खातेदारी से हटाकर गैर मुमकिन शमशान राजकीय भूमि दर्ज कर दिया जाये। इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी की खातेदारी समाप्त की जाकर उसकी खातेदारी की भूमि को राजकीय शमशान भूमि अंकित किये जाने की प्रार्थना की गई हैं। ऐसी प्रार्थना लिपिकीय त्रुटि के संशोधान की प्रार्थना नहीं कहीं जा सकती। यह ऐसी प्रार्थना भी नहीं हैं। जिसे दोनो पक्षकार लिपिकीय त्रुटि के रूप में होना स्वीकार करते हो। ऐसी दशा में इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है एवं ऐसी दुरस्ती केवल विधिवत दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके ही की जा सकती हैं। इस प्रकार यह जाहिर हो जाता हैं कि वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं था।

2. RRT 2003 (2) पेज 739 जिसके अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 41 नियम 24– राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956– धारा 140 निचले न्यायालयों ने प्रत्येक तनकी पर पृथक निर्णय नहीं दिया– निर्णय देने हेतु यदि साक्ष्य पर्याप्त है, तनकियों को पुनः निश्चित कर व साक्ष्य का विवेचन कर अपीलीय न्यायालय अपील को अन्तिम तौर से निर्णीत कर सकता हैं– राजस्व मण्डल ने मामला पुनः निर्णीयत करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया– **जब रेस्पोण्डेन्ट्स प्रतिकूल साबित करने में असफल रहे हो तो अधिकार अभिलेख में प्रविष्टयों के सही होने की उपधारणा की जायेगी–** बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दोष पूर्ण हैं एवं अपास्त किया। (पैरा 23, 24, 25, 26)

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि ग्राम सेवाडी के हाल खसरा नंबर 1405 रकबा 0.39 हैक्टर को राजकीय सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने की मांग की गई है, वह भूमि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थी संख्या–01 के खातेदारी में दर्ज है। भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज से भी यह प्रमाणित हैं कि सेवाडी के गत् खसरा नंबर 387 व 386 निजी खातेदारी भूमियॉ रही है, तथा अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा दिनांक 18.05.1976 को निजी खातेदार से ही भूमि खरीद की गई है। पुराने खसरा नंबर 414 गै.मु. मार्ग जरूर दर्ज था, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मिलान क्षैत्रफल से गत् खसरा नंबर 414 से हाल खसरा नंबर 1405 बनने की पुष्टि नहीं हो सकी है। जिससे राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 के प्रावधानो अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज को सही मानने में कोई आपत्ति नहीं है। पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा दिनांक 14.11.2017 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट में भी मौके पर सेवाडी– पादरला रोड के पुर्व दिशा में रोड से सटता हुआ खसरा नंबर 1405 है, तथा खसरा नंबर 1405 की सीमा से लगते हुये खसरा नंबर 1403, 1406, 1421 प्रार्थीगण व अन्य लोगो की खातेदारी भूमियॉ है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या खसरा नंबर 1405 की भूमि को रास्ता की भूमि नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में भू0प्रबन्ध की त्रुटि साबित करने में असफल रहे है, जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज करने के पश्चात् तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा गत् खसरा नंबर 386 व 387 मेंसे कुल 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी, जिसका रकबा हैक्टर में 4.24 हैक्टर बनता है, परन्तु भू0प्रबन्ध पश्चात् के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम वर्तमान अधिकार अभिलेखों में कुल रकबा 4.94 हैक्टर किस प्रकार दर्ज हुआ उक्त रकबा भू0प्रबन्ध पुर्व के रेकर्ड के मुकाबले (4.94–4.24) = 0.70 हैक्टर अधिक रकबा है। अतः इस सबंध में गत् व हाल रेकर्ड से जांच करते हुये अप्रार्थी संख्या–01 के पास बेशी रकबा पाया जाने पर नियमानुसार सिवाचक दर्ज किये जाने बाबत् कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये एक माह की अवधि में इस न्यायालय को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एव
पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 9-5-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
पदेन उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner